भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 221

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया जाना है)

ईएसजी सुधार

221. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनसीआरबीसी, 2025 में हुई चर्चाओं से स्वैच्छिक औद्योगिक सहभागिता तक सीमित न रहते हुए बाध्यकारी ईएसजी सुधारों की दिशा में अग्रसर होने हेतु सरकार द्वारा लागू की गई अनुवर्ती प्रणालियाँ क्या हैं;

(ख) क्या सरकार भारतीय एमएसएमई और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय ईएसजी मानकों, जैसे यूरोपीय संघ के कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव (सीएसडीडीडी) के अनुपालन हेतु, विशेष रूप से बाजार पहुंच को सुरक्षित रखने के लिए सहायता प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ईएसजी को अपनाने की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके सतत विकास से सम्बंधित प्रकटन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा एनसीआरबीसी, 2025 से किसी ठोस विनियामक या नीतिगत परिणाम, विशेषकर बीआरएसआर समन्वयन, ग्रीन फाइनेंस और कार्यबल संक्रमण जैसे क्षेत्रों में की अपेक्षा की जा रही है; और

(ङ) समावेशी रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला ड्यू डिलिजेंस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय ईएसजी नीति ढांचे में अपनी सिफारिशों को सम्मिलित कराने हेतु यूनिसेफ और आईएलओ जैसे वैश्विक साझेदार किस प्रकार सक्रिय रूप से भाग लेते हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ङ): आईआईसीए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जिसे शैक्षिक अनुसंधान करने, क्षमता निर्माण प्रदान करने और कारपोरेट मामलों तथा जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण से संबंधित क्षेत्रों में समर्थन की सुविधा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। आईआईसीए ने जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर अपना कार्यक्रम पेश किया और इसके परिणामस्वरूप, यह जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण (एनसीआरबीसी) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है जो बहु-हितधारक संवाद, ज्ञान विनिमय और जिम्मेदार व्यावसायिक कार्यप्रणालियों से संबंधित विषयों पर क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। एनसीआरबीसी में विचार-विमर्श का उद्देश्य अच्छी कार्यप्रणालियों की साझा समझ को बढ़ावा देना और व्यावसायिक जिम्मेदारी की सामूहिक समझ में अकादमिक संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना है और सम्मेलन का उद्देश्य सरकार द्वारा औपचारिक अनुवर्ती तंत्र स्थापित करने के लिए नीति निर्माण या नियामक मंच, के रूप में कार्य करना नहीं है।

जारी...2/-

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग स्थिरता के लिए एक संगठन की प्रतिबद्धता को संचालित करने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसे पहली बार 2011 में जारी किए गए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियों (एनवीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में सन्निहित किया गया था और बाद में कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल किया गया था, जो एक कंपनी और उसके निदेशकों के लिए अपने शेयरधारकों से परे अपने हितधारकों - कर्मचारी, समुदाय और पर्यावरण के लिए व्यापक जिम्मेदारियों की परिकल्पना करता है। वैश्विक विकास और घरेलू परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, एनवीजी को 2019 में जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) के रूप में उन्नत और अद्यतन किया गया था।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) का सार कंपनी अधिनियम, 2013 में सन्निहित है, जो स्थिरता और नैतिक मानकों के साथ कारपोरेट आचरण को संरेखित करता है। ईएसजी सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले अधिनियम के प्रमुख पहलुओं को ऊर्जा संरक्षण, महिला निदेशकों की नियुक्ति, मातृत्व लाभ पर प्रकटन, निदेशकों के कर्तव्यों, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आदि के बारे में प्रकटीकरण के संबंध में उनके बोर्ड रिपोर्ट में निदेशक की जिम्मेदारी से संबंधित प्रासंगिक खंडों में पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ये प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों का हिस्सा होते हैं और संबंधित कंपनियों का बोर्ड अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अपेक्षित लागू प्रकटनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी नीति निर्माण के लिए सरकार सभी हितधारकों से परामर्श करती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग (बीआरआर) के माध्यम से 2012 से एनवीजी में निहित व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता संकेतकों पर प्रकटीकरण करने के लिए अनिवार्य किया था, जिसे बाद में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण द्वारा) तक बढ़ा दिया गया था, जहां ये कंपनियां वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्वेच्छा से और वि.व. 2022-23 से आगे अनिवार्य रूप से बीआरएसआर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद, 12 जुलाई, 2023 और 28 मार्च, 2025 के परिपत्रों द्वारा सेबी ने बीआरएसआर कोर पेश किया है, जिसमें महत्वपूर्ण/कोर मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) का एक सीमित सेट शामिल है, जिसके लिए सूचीबद्ध संस्थाओं को वित्त वर्ष 2023 - 24 से शीर्ष 150 सूचीबद्ध संस्थाओं से शुरू होने वाले निर्दिष्ट ग्लाइड पथ के अनुसार आश्वासन/मूल्यांकन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, और वित्त वर्ष 2026 - 27 तक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, सेबी ने वित्त वर्ष 2025 - 26 से स्वैच्छिक आधार पर शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं की मूल्य श्रृंखला के लिए ईएसजी प्रकटीकरण और वित्त वर्ष 2026 - 27 से स्वैच्छिक आधार पर इसका आश्वासन/मूल्यांकन भी शुरू किया है। ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों दोनों के लिए लागू हैं।

******